

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2015/चैत्र 18, 1937

No. 85]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2015/CHAITRA 18, 1937

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2015

सं. आरएस. 1/2/2015-एल.—राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2015 को दिया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा राज्य सभा को बृहस्पतिवार, 23 अप्रैल, 2015 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता हूं।

8 अप्रैल, 2015

ह/-

राष्ट्रपति"

शमशेर के. शरीफ, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2015

No. RS 1/2/2015-L.—The following Order by the President dated the 8th April, 2015, is published for general information :—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at New Delhi on Thursday, the 23rd April, 2015 at 11.00 A.M.

April 8, 2015

Sd/-

PRESIDENT"

SHUMSHER K. SHERIFF, Secy.-General